शिविर निदेशक (ह०क०)
डायरी नं० 517
दिनांक 15.06.2016

संख्या–767/63–व0उ0–2016–58(एच)/2016

प्रेषक,

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

उपायुक्त
आयुक्त एवं निदेशक
15.6.2016
श्री सुरेश चन्द्र

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2016

विषय :– जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1142/हक0–पा0(सामान्य)/2015–16 दिनांक 09.03.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना की गाइडलाइन्स एतद्द्वारा निम्नवत प्रख्यापित की जाती है :–

प्रदेश के परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक पावरलूम में परिवर्तित करने के उद्देश्य से **"जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना"** का कियान्वयन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकरों के पुराने एवं परम्परागत पावरलूम के स्थान पर उच्चीकृत पावरलूम स्थापित कराकर उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण मद में 100 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, पावरलूम स्थापित करने हेतु कार्यशाला निर्माण में रू0 45000/– प्रति कार्यशाला अनुदान एवं शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं उच्चीकृत आधुनिक पावरलूम की स्थापना मदों में 2:1 के अनुपात में लाभ देय होगा। सम्पूर्ण योजना 75:25 के अनुपात में अनुमन्य होगी जिसमें 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा 25 प्रतिशत समिति/इकाई/स्वयं सहायता समूह/व्यक्तिगत बुनकरों द्वारा वहन किया जायेगा।

1.2 योजना के घटक:–

प्रदेश के पावरलूम बुनकरों की वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए योजना को चार घटकों/मदों में बाँटा गया है।

(1) आधुनिक पावरलूम तकनीक सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम
(2) आधुनिक सेमीआटोमेटिक पावरलूम की स्थापना
(3) पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला का निर्माण
(4) प्रचार–प्रसार

1.2(1) आधुनिक पावरलूम तकनीक सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकरों/पावरलूम संगठनों के बुनकरों को आधुनिक पावरलूम के संचालन, आधुनिक डिजाइन, एवं रंग संयोजन तकनीकी आदि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाहित कर किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्था जैसे पावरलूम सर्विस सेन्टर अथवा निट्रा से पावरलूम बुनकरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रति प्रशिक्षणार्थी कुल धनराशि रू0 5000/– व्यय होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति पावरलूम इकाई/समिति के अधिकतम 04 लाभार्थियों को प्रशिक्षित कराया जायेगा। इस हेतु रू0 20000/– की आवश्यकता होगी। जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। व्यक्तिगत बुनकर के लाभार्थी होने की दशा में एक बुनकरों को ही प्रशिक्षण मद का लाभ दिया जायेगा। इस हेतु रू0 5,000/– की आवश्यकता होगी। जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

1.2(2) आधुनिक सेमी आटोमेटिक पावरलूम की स्थापना :–

पावरलूम बुनकरों/पावरलूम संगठनों के बुनकरों को सेमी आटोमैटिक पावरलूम (सह उपकरणो सहित) खरीद करने हेतु रू0 1,00,000/– प्रति पावरलूम की दर से अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। सेमी आटोमैटिक पावरलूम की अनुमानित बाजार दर रू0 1,50,000/– है।

इस प्रकार लाभार्थी बुनकर/संस्था का बुनकर/यूनिट का बुनकर अपने स्रोतो से रू0 50,000/– का वहन करेगा। योजनान्तर्गत एक पावरलूम इकाई के बुनकर/समिति के बुनकर/स्वयं सहायता समूह के बुनकर को अधिकतम 02 सेमी आटोमैटिक पावरलूम वित्तीय वर्ष में खरीद करने का लाभ प्रदान किया जायेगा। व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के लाभार्थी होने की दशा में एक बुनकर को 01 सेमीआटोमैटिक पावरलूम खरीद करने का लाभ प्रदान किया जायेगा। किसी भी व्यक्तिगत बुनकर/संस्था के बुनकर/इकाई के बुनकर/स्वयं सहायता समूह के बुनकर को पुनः तीन वित्तीय वर्षो तक योजना से लाभान्वित नहीं कराया जायेगा।

1.2(3) पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला का निर्माण :–

कार्यशाला निर्माण हेतु सेमी आटोमेटिक पावरलूम के स्थापना के लिए 150 वर्ग फीट एरिया के सापेक्ष धनराशि रू0 300/– प्रति वर्गफुट की दर से अधिकतम रू0 45,000/– की वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। एक पावरलूम इकाई के बुनकर/समिति के बुनकर/स्वयं सहायता समूह के बुनकर को अधिकतम 02 पावरलूम कार्यशाला निर्माण का लाभ देय होगा। व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के लाभार्थी होने की दशा में 01 पावरलूम कार्यशाला निर्माण हेतु लाभ अनुमन्य होगा।

भूमि उपलब्धता :– कार्यशाला निर्माण हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि का अधिकार/मिल्कियत/स्वामित्व लाभार्थी बुनकर का ही है, इसकी पुष्टि सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा स्थलीय सत्यापन कर की जायेगी। लाभार्थी बुनकर के पास दर्शायी गयी भूमि, स्वयं की भूमि, भूमिधरी,पट्टे की अथवा आबादी की है। इस आशय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित लाभार्थी बुनकर से नोटरी शपथनामा पर लिया जायेगा।

1.2(4) प्रचार–प्रसार :–

प्रचार–प्रसार मद में रू0 40 हजार राज्यॉश के रूप में अनुदान तथा रू0 10 हजार बुनकर अंश के रूप में प्रति इकाई/समिति/स्वयं सहायता समूहो को यह लाभ देय होगा। (व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर को प्रसार–प्रसार मद का लाभ देय नहीं होगा) प्रसार–प्रसार के माध्यम से भारतीय बाजार एवं वैश्विक मॉग के अनुरूप वर्तमान फैशन के परिवेश में नई डिजाइन एवं नये कलर कम्बीनेशन के वस्त्रों का उत्पादन कराया जायेगा। जिससे विपणन को अत्यधिक बढावा मिलेगा।

1.3– कार्यान्वयन एजेन्सी :– (1) पावरलूम बुनकर सहकारी समितियॉ
(2) विभाग द्वारा पंजीकृत पावरलूम एस0एस0आई0यूनिट
(3) पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता समूह
(4) पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप
(5) व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर

1.4– कार्यान्वयन एजेन्सियों की पात्रता :–

योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेन्सियां सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगी :–

क– प्रदेश की प्राथमिक पावरलूम सहकारी समितियॉ

(जिनका 3 वर्षो का आडिट पूर्ण हो/निर्वाचित संचालक मण्डल हो)

ख– **पावरलूम एस0एस0आई0यूनिटें**(जिनका पंजीयन हथकरघा विभाग द्वारा हो जो एक वर्ष पूर्व की पंजीकृत हो तथा आडिट की स्थिति पूर्ण हो)

ग– **पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता समूह/पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप** (ऐसे पावरलूम समूह जो कम से कम एक वर्ष पूर्व से कार्य कर रहा हो, उसका बैंक खाता खुल गया हो तथा समूह के सदस्यो का अंशदान नियमित जमा हो रहा हो एवं समूह से सम्बन्धी समस्त कागजात पूर्ण हो। (ऐसा पावरलूम स्वयं सहायता समूह जिसकी कार्यशील पूँजी हेतु शाख सीमा ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत हो, को वरीयता प्रदान की जायेगी).

घ– व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर (ऐसे व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर जिनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र हो, किसी भी प्रकार की शासकीय बकायेदार न हो, जो किसी प्रकार से विवादित एवं कदाचार में लिप्त न हो, अर्थात बुनकर समग्र रूप से पात्रता की श्रेणी में हो। योजना के अनुरूप स्वयं का अंशदान लगाने में समक्ष हो।

ड– पावरलूम सहकारी समितियों/एस0एस0आई0 यूनिटें/पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता समूह/ पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप के बुनकर/व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के पास बिद्युत कनेक्शन एवं भूमि अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

1.5– <u>लाभार्थी पावरलूम बुनकर की पात्रता:–</u>

1.5(1) पावरलूम बुनकर की आयु 18 वर्ष से कम न हो और बुनाई कार्य से भिज्ञ हो।

1.5(2) बुनकर पावरलूम वस्त्र उत्पादन में कार्यरत हो।

1.5(3) ऐसे पावरलूम बुनकर जो आधुनिक पावरलूम खरीदने एवं कार्यशाला निर्माण हेतु स्वयं का अंश लगाने में सक्षम हो। जिसका आंकलन परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा योजना का प्रस्ताव तैयार कराने से पूर्व करेंगे।

1.5(4) पावरलूम बुनकर के पास पावरलूम बुनकर परिचय पत्र/ विद्युत विभाग द्वारा निर्गत पावरलूम विद्युत प्रतिपूर्ति की पासबुक होना चाहिए।

1.5(5) पावरलूम बुनकर के पास आधार कार्ड/फोटोयुक्त राशन कार्ड/फोटोयुक्त वोटर कार्ड होना चाहिए।

1.5(5) भूमि/जमीन स्वयं कार्यान्वयन एजेन्सी के बुनकर/यूनिट के बुनकर/लाभार्थी बुनकर के स्वामित्व की होनी चाहिए।

1.6– <u>योजना का प्रस्ताव तैयार करना</u> :–

कार्यान्वयन एजेन्सी योजना के प्रारूप ,दिशा–निर्देश, चेकलिस्ट आदि में उल्लिखित सभी शर्तो एवं पात्रता का गहन अध्ययन कर योजना का प्रस्ताव निर्दिष्ट निम्न प्रपत्रों/प्रमाण–पत्रों को संलग्न करते हुए तीन प्रतियों में तैयार कर सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा के कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

1.6(1) जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना की चेक लिस्ट संलग्न है।

परिशिष्ट (प्रारूप–"क")

1.6(2) कार्यान्वयन एजेन्सी का ब्यौरा संलग्न है। परिशिष्ट (प्रारूप–"ख")

1.6(3) योजना प्रस्ताव का प्रोफार्मा संलग्न है। परिशिष्ट (प्रारूप–"ग")

1.6(4) योजना का वित्तीय स्रोत संलग्न है। परिशिष्ट (प्रारूप–"घ")

1.6(5) योजना के प्रस्ताव में उन्हीं मदों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है, जिनमें इसके पूर्व तीन वर्षो के अन्दर प्रदेश सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभार्थी को आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है अर्थात दोहरीकरण नहीं हो रहा है। इस आशय का प्रमाण पत्र परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा स्वयं दिया जायेगा।

1.6(6) कार्यान्वयन एजेन्सी के कदाचार में लिप्त न होने तथा समग्ररूप से पात्र होने सम्बन्धी परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

1.6(7) कार्यान्वयन एजेन्सी के बकाऐदार न होने का परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

1.6(8) कार्यशाला निर्माण मद के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी/लाभार्थी बुनकर के पास स्वयं के स्वामित्व की जमीन/भूमि है, का स्थलीय निरीक्षण/ अवलोकन के पश्चात परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

1.6(9) कार्यशाला निर्माण मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से अधिक धनराशि व्यय होती है तो कार्यान्वयन एजेन्सी/कार्यान्वयन एजेन्सी का बुनकर/ व्यक्तिगत लाभार्थी बुनकर बैंक ऋण द्वारा अथवा स्वयं अपने संसाधनों से वहन करेगा। लाभार्थी को इस आशय का शपथ–पत्र भी देना होगा कि अतिरिक्त धनराशि वह अपने स्रोतो से वहन करेगा।

1.7– <u>योजनान्तर्गत प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :–</u>

कार्यान्वयन एजेन्सी, परियोजना प्रस्ताव तैयार कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति एवं भौतिक सत्यापन/परीक्षण आदि की कार्यवाही पूर्ण कर सन्तुष्ट हो जाने के पश्चात् योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति के स्तर पर समीक्षा/ परीक्षण कर संस्तुति किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

<u>जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति :–</u> जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति निम्नवत् होगी :–

1. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा .....अध्यक्ष
2. सम्बन्धित जनपद के रेशम विभाग/खादी ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि .....सदस्य
3. सम्बन्धित जनपद के निकटतम पावरलूम सर्विस सेन्टर/निट्रा का प्रतिनिधि .....सदस्य
4. सम्बन्धित जनपद के दो पावरलूम बुनकर/स्थानीय पावरलूम एसोसिएशन के प्रतिनिधि .....सदस्य
5. सम्बन्धित जनपद के अधीक्षक (वस्त्र/उत्पादन)/वस्त्र निरीक्षक/पावरलूम निरीक्षक/परीक्षक .....सदस्य/सचिव

योजना के सफल कियान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति, परियोजना मदों में वांछित सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्वयं निर्णय लेगी कि लाभार्थी बुनकरों की आवश्यकतानुसार उन्हें इस सुविधा का लाभ दिया जाये अथवा नहीं और परियोजना प्रस्तावों पर सम्यक विचार करते हुए निर्धारित मदवार, लाभार्थी संख्या, राज्यांश, बुनकर अंश/कार्यान्वयन एजेन्सी का अंश आदि विवरण के साथ प्रत्येक योजना के प्रस्तावों के परीक्षण/निरीक्षण/समीक्षा कर उस पर अपना अभिमत अंकित कर संस्तुति करेगी। तद्परान्त बैठक की कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रत्येक योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा दो प्रतियों में निदेशालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

1.8– <u>राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति:–</u> जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति की संस्तुति के उपरान्त निदेशालय को प्राप्त पावरलूम प्रस्तावों का निदेशालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त उचित पाये गये योजना के प्रस्ताव राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति निम्नवत् होगी :–

1– आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,उ0प्र0,कानपुर .....अध्यक्ष

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम/यूपिका के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि .....सदस्य

3– केन्द्रीय वस्त्र प्रोद्योगिकी संस्थान,कानपुर के निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि .....सदस्य

4– नजदीकी पावरलूम सर्विस सेन्टर/निट्रा का प्रतिनिधि .....सदस्य

5– वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0,कानपुर .....सदस्य

6– पावरलूम सगठन के दो प्रतिनिधि .....सदस्य

7– योजनाधिकारी, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ0प्र0,कानपुर .....सदस्य/सचिव

उपरोक्तानुसार योजना के सफल कियान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये पावरलूम प्रोजेक्ट पर जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के उपरान्त प्रस्तावों को आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने पर मदवार संकलित विवरण तैयार कर प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

1.9– <u>योजना का अनुश्रवण</u> :– पात्र पावरलूम बुनकरों के चयन, योजना तैयार कराकर प्रस्तुत कराने के साथ–साथ योजना को पारदर्शी तरीके से कियान्वित कराकर उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषण आदि का अनुश्रवण परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा किया जायेगा।

1.10– योजनान्तर्गत बजट व्यवस्थाः– योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2016–17 में 15 करोड़ की बजट व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है। योजना के आगामी वर्षो में पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराने हेतु वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु बजट का प्राविधान कराया जायेगा। परिक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने पर राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति में उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों के अनुसार शासन से बजट की स्वीकृति हेतु मॉग की जायेगी। शासन से धनराशि की स्वीकृति होने के उपरान्त धनराशि का आहरण कोषागार से किया जायेगा। कोषागार से धनराशि आहरित कर लाभार्थी इकाईयों/बुनकरों के खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भेजी जायेगी।

<u>1.11– योजना के कियान्वयन सम्बन्धी दिशा–निर्देश :–</u>

1.11(1) प्रशिक्षण का कार्य किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्था जैसे–पावरलूम सर्विस सेन्टर/निट्रा द्वारा कराया जायेगा।

1.11(2) प्राथमिक पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों या पावरलूम यूनिट को प्रशिक्षण मद में प्राप्त धनराशि परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की संस्तुति पर प्रशिक्षण देने वाली संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा और उन्हीं के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण मद की धनराशि आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

1.11(3) सेमी आटोमेटिक पावरलूम, कय हेतु लाभार्थी बुनकर का अंश कार्यान्वयन एजेन्सी के खाते में जमा होने के पश्चात ही परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर की दशा में बुनकर अंश योजना संचालन हेतु खोले गये खाते में जमा होने के पश्चात परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। सम्बन्धित फर्म को अन्तिम भुगतान पावरलूम अथवा एसेसरीज आदि की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त की अनुमति के उपरान्त किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा टेक्नालोजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम(टफ्स) के अन्तर्गत चिन्हित पावरलूम निर्माण करने वाली किसी भी फर्म से आपूर्ति ली जायेगी। भारत सरकार से चिन्हित पावरलूम निर्माण फर्म के अतिरिक्त अन्य कहीं से पावरलूम की आपूर्ति नहीं ली जायेगी।

1.11(4) कार्यान्वयन एजेन्सी को योजना मदों में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि कार्यान्वयन एजेन्सी के खाते में सीधे NEFT द्वारा जमा करायी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि के आहरण सम्बन्धी कार्यवाही परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा के पर्यवेक्षण एवं सहमति से किया जायेगा। प्रोजेक्ट स्वीकृत के साथ ही कार्यान्वयन एजेन्सी का बैंक खाता संख्या एवं विवरण निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

1.11(5) कार्यशाला निर्माण हेतु लाभार्थी बुनकर को स्वीकृत धनराशि योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी। यदि कार्यशाला निर्माण की लागत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता से आधिक आती है तो अतिरिक्त धनराशि को स्वयं लाभार्थी बुनकर द्वारा अपने संशाधनों अथवा बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेकर वहन करना होगा। लाभार्थी बुनकर अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त में बैंक खाते से आहरित करेगा। आधा निमार्ण कार्य पूर्ण होने पर शेष 50 प्रतिशत धनराशि द्वितीय किश्त में आहरित करेगा। निर्माण कार्य को पूर्ण करने के उपरान्त शतप्रतिशत धनराशि के व्यय की पुष्टि कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा की जायेगी जिसका सत्यापन सम्बन्धित परिक्षेत्र के औद्योगिक पर्यवेक्षक/वस्त्र निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। जिसका पर्यवेक्षण सहायक आयुक्त हथकरघा करेंगे। कार्यशाला का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यशाला पर योजना का नाम,बुनकर का नाम व निर्माण वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित कराया जायेगा। कार्यशाला के साथ बुनकर का फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

1.11(6) योजना का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उसमें सम्मिलित किसी एक मद का समर्पण स्वीकार नहीं होगा। यदि समर्पण करना आवश्यक हो तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त मदों की सम्पूर्ण की धनराशि समर्पित की जायेगी । अपवाद के रूप में यदि किसी मद की धनराशि को समर्पित करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके उपयोग न हो पाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए निदेशालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित मद की धनराशि समर्पित की जायेगी।

1.11(7) लाभार्थी बुनकरों/कार्यान्वयन एजेन्सी के खाते में जमा करायी गयी योजना के मदों में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग स्वीकृत मद में ही किया जायेगा। योजना का कियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा/सम्बन्धित कर्मचारियों के साथ–साथ कार्यान्वयन एजेन्सी का होगा । योजना के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में कार्यान्वयन एजेन्सी/परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं सम्बन्धित विभागीय कर्मचारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

1.11(8) प्रत्येक घटक के अन्तर्गत वास्तविक प्रगति रिपोर्ट(भौतिक एवं वित्तीय) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

1.11(9) कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त बिल, वाउचर एवं प्रगति प्रतिवेदन संलग्न करते हुए सी0ए0 द्वारा आडिट कराया जायेगा। समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा कार्यालय में प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित औद्योगिक पर्यवेक्षक व वस्त्र निरीक्षक द्वारा प्रत्येक बिल वाउचर आदि का भौतिक सत्यापन करने के बाद परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा पूर्ण संतुष्ट हो जाने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण– पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ–साथ योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर की छायाप्रति परिक्षेत्रीय कार्यालय में रखी जायेगी।

1.11(10) राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप–42(I) पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.11(11) योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियॉ जैसे नया पावरलूम, कार्यशाला का 7 वर्षो तक बिक्री/हस्तानान्तरण/लीज नहीं किया जा सकेगा।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–767(1)/63–व0उ0–2016, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को गोपन अनुभाग–1 के अशासकीय संख्या–4/2/7/2016–सी0एक्स0(1) दिनांक 31 मई 2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव/सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

संख्या–767(2)/63–व0उ0–2016–तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना व्यापक प्रचार–प्रसार समस्त समाचार पत्रों में एवं अन्य प्रचार माध्यमों से करवाने का कष्ट करे।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

प्रारूप – "क"

(समिति / इकाई / स्वयं सहायता समूह के लिये)

जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजनान्तर्गत

अनुमोदित चेक–लिस्ट

1– कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम व पूर्ण पता.....

.....

2– पंजीकरण संख्या व दिनांक .....

3– कार्यान्वयन एजेन्सी की निर्वाचन तिथि.....(संलग्न है / नहीं है)
(निर्वाचन प्रमाण–पत्र / कार्यवाही संलग्न की जाय)

4– कार्यान्वयन एजेन्सी में सदस्यों की संख्या .....(संलग्न है / नहीं है)
पावरलूमों की संख्या.....(सदस्यों की प्रमाणित सूची संलग्न की जाय)

5– विद्युत कनेक्शन की स्थिति.....(संलग्न है / नहीं है)

6– कार्यान्वयन एजेन्सी का ब्यौरा.....(संलग्न है / नहीं है)

7– योजना के प्रस्ताव का प्रोफार्मा.....(संलग्न है / नहीं है)

8– योजना के वित्तीय स्रोत का विवरण.....(संलग्न है / नहीं है)

9– कार्यान्वयन एजेन्सी के बकायेदार न होने का परिक्षेत्रीय
अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र .....(संलग्न है / नहीं है)

10– कार्यान्वयन एजेन्सी का समग्र रूप से पात्र होने सम्बन्धी का परिक्षेत्रीय
सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र .....(संलग्न है / नहीं है)

11– तीन वर्ष के अन्दर योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना में
इस मदों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता न प्राप्त करने अर्थात दोहरीकरण
न होने का परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र .....(संलग्न है / नहीं है)

12– कार्यशाला निर्माण मद के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार
जमीन / भूमि लाभार्थी बुनकर के पास है, का स्थलीय
निरीक्षण / अवलोकन के पश्चात परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा

(संलग्न है / नहीं है)

प्रारूप – "क"(1)

(व्यक्तिगत बुनकर के लिये)

जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास(सामान्य) योजनान्तर्गत
अनुमोदित चेक–लिस्ट

1– कार्यान्वयन एजेन्सी / बुनकर का नाम व पूर्ण पता.....

.....

2– समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र की संख्या व दिनाक .....

3– व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के परिवार में सदस्यों की संख्या .....

4– पैतृकागत पुराने पावरलूम की संख्या .....

5– विद्युत कनेक्शन की स्थिति.....(संलग्न है / नहीं है)

6– पावरलूम बुनकर का ब्यौरा.....(संलग्न है / नहीं है)

7– योजना के प्रस्ताव का प्रोफार्मा.....(संलग्न है / नहीं है)

8– योजना के वित्तीय स्रोत का विवरण.....(संलग्न है / नहीं है)

9– व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के बकायेदार न होने का परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र.....(संलग्न है / नहीं है)

10– व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर का समग्र रूप से पात्र होने सम्बन्धी का परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र .....(संलग्न है / नहीं है)

11– तीन वर्ष के अन्दर योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना में .....(संलग्न है / नहीं है)
इन मदों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता न प्राप्त करने अर्थात दोहरीकरण न होने का परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र

12– कार्यशाला निर्माण मद के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार जमीन / भूमि लाभार्थी बुनकर के पास है, का स्थलीय निरीक्षण / अवलोकन के पश्चात परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र .....(संलग्न है / नहीं है)

13– जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट में योजनानुसार मदों में वाँछित वित्तीय सहायता मदवार लाभार्थियों की संख्या,साज्यॉश, लाभार्थी अंश, से सम्बन्धित अनुमोदित कार्यवृत्ति .....(संलग्न है / नहीं है)

(हस्ताक्षर)
सहायक आयुक्त हथकरघा,
परिक्षेत्र–.....

(हस्ताक्षर)
व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के अध्यक्ष / सचिव
का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप– "ख"

(समिति / इकाई / स्वयं सहायता समूह के लिये)

कार्यान्वयन एजेन्सी का ब्यौरा

1. कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम व पूरा पता –
2. पंजीकरण संख्या व दिनॉक –
3. अन्तिम निर्वाचन की तिथि –
4. कार्यान्वयन एजेन्सी में बुनकरों की कुल संख्या –
5. कार्यान्वयन एजेन्सी में बुनकरों का विवरण –

	सामान्य वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अल्पसंख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	
पुरूष						
महिला						

6. कार्यान्वयन एजेन्सी में पावरलूमों की संख्या –
7. कार्यान्वयन एजेन्सी का गत वर्ष का उत्पादन रूपये में –
8. कार्यान्वयन एजेन्सी का कुल वार्षिक बिक्री रूपये में–
9. गत एक वर्ष का निर्यात यदि कोई हो (वर्षवार रू0 में) –
10. गत एक वर्ष का जिला सम्प्रेक्षा अधिकारी द्वारा आडिट लेखा(प्रति संलग्न करें) –
11. कार्यान्वयन एजेन्सी की बकायेदारी की स्थिति(सभी ऋणों की) –
12. संलग्नक सहायक दस्तावेजों का ब्यौरा –

अ– योजना की रूप–रेखा –
ब– रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र –
स– निर्धारित फार्मेट पर धन लगाने सम्बन्धी विवरण –
द– ऋण के अनुबन्ध के लिये यदि कोई बैंक दस्तावेज हो –
य– अन्तिम निर्वाचन की कार्यवाही की प्रति–
र – कार्यान्वयन एजेन्सी का प्रस्ताव–
ल– मदवार लाभार्थी बुनकरों की प्रमाणित सूची–

(हस्ताक्षर)
सहायक आयुक्त हथकरघा,
परिक्षेत्र–.....

(हस्ताक्षर)
कार्यान्वयन एजेन्सी के अध्यक्ष /
सचिव का हस्ताक्षर

प्रारूप– "ख"(1)
(व्यक्तिगत बुनकर के लिये)

कार्यान्वयन एजेन्सी का ब्यौरा

1. व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर का नाम व पूरा पता –
2. निवास प्रमाण पत्र की संख्या व दिनॉक –
3. व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के घर सदस्यों की कुल संख्या –
4. व्यक्तिगत पावरलूम बुनंकर के परिवार के सदस्यों का विवरण –

	सामान्य वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अल्पसंख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल योग
1	2	3	4	5	6	
पुरूष						
महिला						

5. व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के पास परम्परागत पावरलूमों की संख्या –
6. व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर का गत वर्ष का उत्पादन रूपये में –
7. व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर का कुल वार्षिक बिकी रूपये में–
8. गत एक वर्ष का निर्यात यदि कोई हो (रू0 में) –
9. व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के बकायेदारी की स्थिति(सभी ऋणों की) –
10. संलग्नक सहायक दस्तावेजों का ब्यौरा –

अ– योजना की रूप–रेखा –

ब– निवास प्रमाण–पत्र –

स– निर्धारित फार्मेट पर धन लगाने सम्बन्धी विवरण –

द– ऋण के अनुबन्ध के लिये यदि कोई बैंक दस्तावेज हो –

य – व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर का योजना प्रस्ताव–

र– मदवार व्यक्तिगत लाभार्थी बुनकरों की प्रमाणित सूची–

(हस्ताक्षर)
सहायक आयुक्त हथकरघा,
परिक्षेत्र–.....

(हस्ताक्षर)
व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के अध्यक्ष/सचिव
का नाम व का हस्ताक्षर

B.
12.

प्रारूप –"ग"

योजना के प्रस्ताव का प्रोफार्मा

1. प्रस्तावना –
2. परियोजना का प्रकरण और उद्देश्य –
3. परियोजना के प्रस्ताव के उद्देश्य –
4. लक्षित लाभार्थी (संख्या) –
5. कुल परियोजना की लागत –

   राज्य का हिस्सा –

   बुनकर का हिस्सा –

   कार्यान्वयन एजेन्सी / बुनकर का हिस्सा –

   ऋण, यदि कोई लिया गया है या लिया जाना है –
6. परियोजना की अवधि –
7. परियोजना में लाभान्वित होने के पूर्व लाभार्थी बुनकर की मासिक औसत आय –

   परियोजना में लाभान्वित होने के पश्चात लाभार्थी बुनकर की सम्भावित मासिक औसत आय–

(हस्ताक्षर)
सहायक आयुक्त हथकरघा,
परिक्षेत्र–.....

(हस्ताक्षर)
कार्यान्वयन एजेन्सी के अध्यक्ष / सचिव /
व्यक्तिगत बुनकर का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप – "घ"

(समिति / इकाई / स्वयं सहायता समूह के लिये)

योजना का वित्तीय स्रोत

1– कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम व पता.....

.....

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	समिति का नाम	योजना के घटक	लाभार्थी संख्या	निर्धारित दर प्रति लाभार्थी / इकाई	योजना की कुल लागत	राज्यांश	लाभार्थी अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	समिति / इकाई / स्वयं सहायता समूह	1–आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण कार्यक्रम	4	0.05	0.20	0.20	-
		2–आधुनिक सेमीआटोमैटिक लूम पावरलूम की स्थापना	2	1.50	3.00	2.00	1.00
		3–पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला निर्माण	2	0.45	0.90	0.90	भूमि
		4–प्रचार–प्रसार	-	0.50	0.50	0.40	0.10
		योग :–	04	-	4.60	3.50	1.10

(हस्ताक्षर)
सहायक आयुक्त हथकरघा
परिक्षेत्र–.....

(हस्ताक्षर)
कार्यान्वयन एजेन्सी के अध्यक्ष / सचिव
का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप – "घ"(1)

(व्यक्तिगत बुनकर के लिये)

योजना का वित्तीय स्रोत

1– व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर का नाम व पता.....

.....

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	व्यक्तिगत बुनकर का नाम व पता	योजना के घटक	लाभार्थी संख्या	निर्धारित दर प्रति लाभार्थी / बुनकर	योजना की कुले लागत	राज्यांश	लाभार्थी अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1	व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर	1–आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	0.05	0.05	0.05	-
		2–आधुनिक सेमीआटोमैटिक लूम पावरलूम की स्थापना	1	1.50	1-50	1.00	0.50
		3–पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला निर्माण	1	0.45	0.45	0.45	भूमि
		योग :–	1	-	2.00	1.50	0.50

(हस्ताक्षर)
सहायक आयुक्त हथकरघा,
परिक्षेत्र–.....

(हस्ताक्षर)
व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर
पूरा नाम हस्ताक्षर सहित